न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
95 / प्रा0पत्र / 16	20.06.2016	30.11.2021

रमेश आ0 गंगाराम जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल
2. जगदीश
3. राजाराम
4. कमल

} पि0 उरजा जाति गूजर निवासीगण ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

5. सरोजबाई पुत्री उरजा जाति गूजर निवासी ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
6. नर्बदाबाई पत्नी उरजा जाति गूजर निवासी ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
7. प्रहलाद
8. रामदेव
9. शंकर

} पि0 पोखर जाति गूजर निवासी ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

10. अंजना
11. ब्रह्मा
12. बीना

} पुत्रियां पोखर जाति गूजर निवासी ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

13. धापू पत्नी पोखर जाति गूजर निवासी ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
14. आवंटन परामर्शदात्री समिति जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी एड0
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से—पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एंव मध्यम सिंचाई परियोजना में कृषि भू आवंटन) नियम, 1968 प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता उरजा (मृतक) एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 13 के पिता पोखर (मृतक) को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 546 / 108 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम गुजरखेड़ा तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को

अति0 जिला कलक्टर

तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 बावजूद सूचना के न्यायालय में नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता मृतक उरजा व अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 13 के पिता मृतक पोखर को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 546/108 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम गुजरखेड़ा पटवार हल्का सादेड़ा तहसील नैंनवा को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 01.11.1977 को भूमि का आवंटन किया गया हैं जो विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत हैं। आवंटी मृतक उरजा एवं मृतक पोखर एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 का कभी भी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं रहा हैं तथा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई हैं। आवंटी एवं उसके पश्चात आवंटी के वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आवंटित भूमि को प्रार्थी के पिता श्री गंगाराम द्वारा 45–46 वर्ष पूर्व काबिल काश्त बनाया था और उस समय से काबिज होकर कृषि कार्य निर्बाध रूप से करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज हैं। आवंटन के समय उक्त विवादित भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 546/108 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम गुजरखेड़ा का आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 निरस्त किया जावें। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1990 पेज 465, आरआरडी 2002 पेज 1 की नजीरें प्रस्तुत की।

राजकीय अभिभाषक ने दोराने बहस व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा पूर्ण विधिक जांच कर आवंटन नियमों के तहत आवंटन किया गया हैं। आवंटन खारिज हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2016 में पेश किया गया हैं जो लगभग 39 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया हैं जो अवधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता उरजा (मृतक) एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 13 के पिता पोखर (मृतक) को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 01.11.1977 को आवंटन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य व्यक्त किये गये हैं कि अप्रार्थीया के पिता तथा अप्रार्थी का उक्त भूमि आवंटन कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित खसरा संख्या 546/108 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा पर कब्जाकाश्त रहा हैं। यदि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा भी माना जावें तो उसकी हैसियत एक अतिक्रमी की हैं जिसे आवंटित भूमि पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे यह साबित हो कि आवंटी द्वारा कौनसे तथ्य छिपाये जाकर आवंटन करवाया गया हैं तथा आवंटन की कौनसी शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। विवादित आवंटन आदेश वर्ष 1977 का हैं जिसे खारिज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लगभग 39 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अतः

जिला कलक्टर

रचनानुसार प्रार्थना पत्र सारहीन/बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 01.11.1977 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)